नव भारत
राष्ट्रहित का प्रहरी 1934 से

छात्रों के चेहरों में दिखता है भारत का भविष्य : सीएम

- अनुशासन और आत्म-विश्वास से तय होगी मंजिल
- सांदीपनि विद्यालय में छात्राओं से किया संवाद

भोपाल, 5 अगस्त. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि आज की युवा पीढ़ी ही वर्ष 2047 के विकसित भारत की आधारशिला रखेगी. विद्यार्थियों के चेहरों पर उन्हें देश का उज्ज्वल भविष्य दिखाई देता है. मेहनत, अनुशासन और आत्मविश्वास सफलता की सबसे बड़ी कुंजी हैं.

सरकार विद्यार्थियों के सपनों को साकार करने के लिए हरसंभव सहयोग दे रही है. मुख्यमंत्री बुधवार को टीटी नगर स्थित कमला नेहरू सांदीपनि शासकीय कन्या विद्यालय में छात्राओं और शिक्षकों से संवाद कर रहे थे.

सांदीपनि विद्यालयों में शिक्षा की नई तस्वीर

डॉ. यादव ने कहा कि सांदीपनि विद्यालय केवल स्कूल नहीं, बल्कि विद्यार्थियों का भविष्य गढ़ने वाली प्रयोगशालाएं हैं. प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग के 274 और जनजातीय कार्य विभाग के 94 सांदीपनि विद्यालय पहले चरण में संचालित हो रहे हैं. दूसरे चरण में स्कूल शिक्षा विभाग के 200 और जनजातीय कार्य विभाग के 205 नए सांदीपनि विद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं. उन्होंने बताया कि कमला नेहरू विद्यालय की 58 छात्राओं ने मेरिट में स्थान हासिल किया है.

मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में 'मास्टर ट्रेनर' की भूमिका निभाते हुए छात्राओं को सफलता के टिप्स दिए. उन्होंने कहा कि देश अमृतकाल से गुजर रहा है और आज के युवा नवनिर्माता हैं. वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना युवा वर्ग की मेहनत से ही पूरा होगा. उन्होंने विद्यार्थियों से अपने लक्ष्य निर्धारित कर पूरी लगन के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया.

पढ़ाई के साथ खेल और स्वाध्याय भी जरूरी

मुख्यमंत्री ने छात्राओं से कहा कि पढ़ाई के साथ खेलकूद और आत्मचिंतन के लिए भी समय निकालना चाहिए. उन्होंने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि जीवन में पढ़ाई का दौर कभी समाप्त नहीं होना चाहिए. उन्होंने विद्यार्थियों को दिनचर्या निर्धारित करने, लक्ष्य के अनुरूप अध्ययन करने और नियमित स्वाध्याय की आदत विकसित करने की सलाह दी. साथ ही एआई का उपयोग भी सतर्कता पूर्वक करने और दिमाग लगाकर करने की सलाह दी गई.

ओंकारेश्वर में हूटर और सायरन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध

खंडवा. श्रावण मास के दौरान ओंकारेश्वर में ध्वनि प्रदूषण और अव्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए जिला प्रशासन ने हूटर, सायरन और भोंपू जैसे उपकरणों के क्रय-विक्रय एवं उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है. कलेक्टर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है. आदेश के अनुसार नगर परिषद ओंकारेश्वर की सीमा क्षेत्र में 28 अगस्त तक स्थायी एवं अस्थायी दुकानों तथा हाथ ठेलों से फेरी लगाकर भोंपू, बिगुल जैसे खिलौने, हूटर और सायरन की बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक रहेगी.

पुनर्गठन के तहत कांग्रेस के सभी विभाग भंग

विशेष संवाददाता

भोपाल,5 अगस्त. मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी ने संगठन को नए सिरे से मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए प्रदेश, जिला, शहर, ब्लॉक तथा अन्य सभी स्तरों पर कार्यरत पार्टी के सभी विभागों, प्रकोष्ठों और उनकी समस्त इकाइयों को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है. यह निर्णय व्यापक संगठनात्मक पुनर्गठन अभियान के तहत लिया गया है.

प्रदेश कांग्रेस के संगठन महामंत्री डॉ. संजय कामले ने बताया कि यह निर्णय अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश तथा मध्यप्रदेश कांग्रेस के प्रभारी हरीश चौधरी के मार्गदर्शन में चल रही संगठनात्मक पुनर्संरचना प्रक्रिया के तहत लिया गया है.

उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का मानना है कि इस पुनर्गठन से संगठन में नई ऊर्जा का संचार होगा, नई कार्य संस्कृति विकसित होगी तथा जवाबदेही बढ़ेगी. यह अभियान कांग्रेस के देशव्यापी संगठन सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य जनता के बीच सक्रिय और मजबूत संगठन तैयार करना है.

> डॉ. कामले ने कहा कि पुनर्गठन के बाद बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक संगठन को नई संरचना के अनुरूप सशक्त बनाया जाएगा. कांग्रेस की विचारधारा के अनुरूप जनता के बीच लगातार सक्रिय रहने वाले तथा जनहित के मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाने वाले कार्यकर्ताओं को उनकी प्रतिबद्धता, कार्यक्षमता और प्रदर्शन के आधार पर संगठनात्मक जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी. उन्होंने बताया कि पुनर्गठन प्रक्रिया पूरी होने के बाद सभी विभागों और प्रकोष्ठों का नए स्वरूप में गठन किया जाएगा तथा नई नियुक्तियों की घोषणा शीघ्र की जाएगी.

नवनियुक्त कर्मचारी पूर्ण निष्ठा, ईमानदारी और लगन से कार्य करें : सिलावट

81 नवनियुक्त विभागीय कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र वितरित

भोपाल, 5 अगस्त. जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने बुधवार को जल संसाधन विभाग के बोधी परियोजना कार्यालय में विभाग में नवनियुक्त 81 कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र वितरण किए.

इस अवसर पर विभाग के प्रमुख अभियंता विनोद देवड़ा, बोधी परियोजना के मुख्य अभियंता आर आर मीना, अधीक्षण यंत्री आशीष महाजन आदि उपस्थित थे. श्री सिलावट ने सभी नवनियुक्त कर्मचारियों को बधाई दी एवं उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं. ी सिलावट ने कहा कि सभी नवनियुक्त कर्मचारी पूरी निष्ठा, लग्न एवं समर्पण भावना के साथ कार्य करते हुए जल संसाधन विभाग को सफलता के शीर्ष पर ले जाने में अपना पूरा-पूरा योगदान दें.

उल्लेखनीय है कि जल संसाधन विभाग के अंतर्गत गत वर्षों में बड़े पैमाने पर नियुक्तियां हुई हैं. वर्ष 2020 से अभी तक कुल 1305 कर्मचारियों को नियुक्तियां प्रदान की गई है.

अवैध हथियारों सहित तीन सौदागर गिरफ्तार

नवभारत न्यूज

जबलपुर, 5 अगस्त . लार्डगंज पुलिस ने अवैध हथियारों के तीन सौदागरों को गिरफ्तार किया है. जिनके कब्जे से एक पिस्टल, दो कट्टा, तीन कारतूस जप्त किए गए. तस्कर गिरोह बनाकर अवैध हथियारों के खरीद-फरोख्त का कारोबार करते थे.

नगर पुलिस अधीक्षक कोतवाली अखिलेश गौर ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों में दीपक जाटव पिता शंकर लाल जाटव 36 वर्ष निवासी सुख सागर ग्वारीघाट, आकाश पटेल पिता अरविंद पटेल 31 वर्ष निवासी दत्त मंदिर के पास लार्डगंज,आनंद चौधरी पिता रेवा राम चौधरी 29 वर्ष निवासी चौधरी मोहल्ला हनुमानताल शामिल हैं. पकड़े गये तीनों आरोपी अपराधी प्रवृत्ति के है . आरोपी दीपक जाटव पर भोपाल में हत्या के प्रकरण में जमानत पर है, ग्वारीघाट के हत्या के प्रयास के प्रकरण में फरार था. जिसके विरूद्ध 1 दर्जन से अधिक अपराध दर्ज है.

एक नजर में

करोड़ों की चोरी करने वाले बदमाशों के घरों पर चला बुलडोजर

गुना. फतेहगढ़ थाना क्षेत्र के चक चुरेला गांव में बीती 3 अगस्त को हुई बड़ी चोरी की वारदात के बाद प्रशासन ने आरोपियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने कनेरा गांव में आरोपियों के अवैध मकानों और जमीनों को चिन्हित कर उन पर बुलडोजर चला दिया गया है.

क्लेम की 80 लाख राशि में हेराफेरी करने का आरोप

- बेटियों के खिलाफ 43 लाख व मकान दस्तावेज नहीं देने पर कोर्ट के निर्देश पर पुलिस ने दर्ज किया केस

नवभारत न्यूज

इंदौर, 5 अगस्त. पति की मौत के बाद बिजली विभाग से मिली 80 लाख रुपए की आर्थिक सहायता को लेकर 64 वर्षीय बुजुर्ग महिला ने अपनी ही बेटियों पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है.

महिला का आरोप है कि बैंकिंग प्रक्रिया में मदद के नाम पर बेटियों ने पूरी राशि निकाल ली और उसमें से 43.50 लाख रुपए तथा मकान के मूल दस्तावेज अपने पास रख लिए. पुलिस में शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं होने पर महिला ने न्यायालय की शरण ली.

कोर्ट के निर्देश के बाद आजाद नगर पुलिस ने दो बेटियों के खिलाफ धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. आशा खान उर्फ आयशा खान उम्र 64 साल ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनके पति के निधन के बाद बिजली विभाग से करीब 80 लाख रुपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत हुई थी.

सौरभ को हाईकोर्ट से मिली सशर्त राहत

52 करोड़ का सोने व 11 करोड़ नकद मिले थे जंगल में

जबलपुर, 05 अगस्त. सौ करोड़ से अधिक मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किये गये आरटीओ विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा को हाईकोर्ट से जमानत का लाभ मिल गया है.

हाईकोर्ट जस्टिस अजय कुमार निरंकारी ने अपने आदेश में कहा है कि प्रवर्तन निदेशालय जांच पूरी कर न्यायालय के समक्ष चालान प्रस्तुत कर चुका है. न्यायालय ने आरोप भी तय कर दिये है. विचाराधीन कैदी विगत 16 माह से न्यायिक हिरासत में है और ट्रायल कोर्ट द्वारा सुनवाई पूरी करने में समय लगने की संभावना है. एकलपीठ ने इस आधार पर आरोपी को जमानत का लाभ प्रदान कर दिया. याचिकाकर्ता सौरभ शर्मा की तरफ से जमानत के लिए हाईकोर्ट में स्थाई जमानत के लिए आवेदन किया गया था. पूर्व में हाईकोर्ट ने दो बार स्थाई जमानत आवेदन को निरस्त कर दिया था. बीमार पत्नी के ऑपरेशन के लिए दायर किये गये अस्थाई जमानत आवेदन को भी निरस्त कर दिया गया था. जमानत आवेदन में कहा गया था कि वह मध्य प्रदेश राज्य के परिवहन विभाग में आरक्षक के पद पर पदस्थ था और स्वेच्छा से सेवानिवृत्त गया था. उस पर आरोप है कि उसने परिवार के सदस्यों, सहयोगियों और अन्य संबंधित संस्थाओं के नाम पर कुछ चल और अचल संपत्तियाँ, निवेश और वित्तीय लेनदेन किये है. सार्वजनिक सेवा में अपने कार्यकाल के दौरान ज्ञात आय के स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित की थी.

आय से अधिक संपत्ति के प्रकरण में था जेल में

13 घंटे बंधक बनाकर सहायक सचिव की बेरहमी से पिटाई

नवभारत न्यूज

भिंड। जिले में पांच लाख रुपये के लेन-देन का विवाद खूनी वारदात में बदल गया। मछंड सेवा सहकारी संस्था के सहायक सचिव विनोद सिंह राजावत का कथित तौर पर अपहरण कर आरोपियों ने करीब 13 घंटे तक बंधक बनाए रखा।

पिस्टल की नोक पर कराए चेकों पर हस्ताक्षर

पीड़ित का आरोप है कि उसे पिस्टल दिखाकर कार में बैठाया गया और दबोह व आलमपुर क्षेत्र में घुमाते हुए बेसबॉल बैट, प्लास्टिक पाइप, लात-घूंसों और थप्पड़ों से बेरहमी से पीटा गया। पीड़ित के अनुसार, मारपीट के दौरान वह बेहोश हो गया। होश आने पर आरोपियों ने धमकाकर तीन चेक, पांच कोरे कागज और दो स्टाम्प पेपर पर जबरन हस्ताक्षर करा लिए। रात करीब 11 बजे परिजनों के मौके पर पहुंचने के बाद वह आरोपियों के चंगुल से मुक्त हो सका। पुलिस ने शिकायत के आधार पर अजित सिंह चौहान, वीर प्रताप सिंह उर्फ वीरू, पवन गुप्ता, अभिनंदन सिंह समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ अपहरण और जबरन हस्ताक्षर कराने जैसे प्रकरण दर्ज किए.

फर्जी इंस्टाग्राम आईडी से धमकी देने वाले क्लासमेट पर केस

नवभारत न्यूज

इंदौर, 5 अगस्त. सगाई के बाद एक युवती को सोशल मीडिया पर परेशान करने का मामला सामने आया है. युवती को फर्जी इंस्टाग्राम आईडी से लगातार अश्लील और आपत्तिजनक संदेश भेजे जा रहे थे.

जब मामला बढ़ा तो पीड़िता के साथ उसकी मां और होने वाली सास को भी संदेश भेजे जाने लगे. इसके बाद साइबर सेल से कराई गई तकनीकी जांच में फर्जी अकाउंट का कनेक्शन उसकी पूर्व क्लासमेट से जुड़ गया. पुलिस ने आरोपी छात्रा के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पीड़िता और आरोपी छात्रा रिया करीब तीन साल तक एक ही स्कूल में साथ पढ़ चुकी हैं. करीब तीन महीने पहले पीड़िता की सगाई हुई थी. इसके बाद उसके इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक फर्जी आईडी से आपत्तिजनक मैसेज आने लगे. शुरुआत में पीड़िता ने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन कुछ समय बाद संदेशों की भाषा आपत्तिजनक होती चली गई. फर्जी आईडी से पीड़िता की मां और होने वाली सास को भी अभद्र संदेश भेजे.

हाईकोर्ट ने की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका निराकृत

नवभारत न्यूज

जबलपुर, 5 अगस्त. मायके पक्ष द्वारा पत्नी का अपहरण कर उसे बंधक बनाकर रखे जाने का आरोप लगाते हुए पति ने हाईकोर्ट में दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की है.

लगाए ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप

हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस विवेक रूसिया तथा जस्टिस प्रदीप मित्तल की युगलपीठ के पूर्व में पारित आदेश का पालन करते हुए मैहर पुलिस द्वारा महिला को पेश किया गया. महिला ने युगल पीठ को बताया कि वह स्वेच्छा से अपने माता-पिता के साथ रहना चाहती है. युगलपीठ ने महिला के बयान को रिकॉर्ड में लेते हुए याचिका का निराकरण कर दिया.

मैहर जिले के उदयपुर निवासी रोहित कुमार चौधरी की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि मई माह में प्रेम विवाह करने के कारण मायके पक्ष के लोग उससे रंजिश रखते थे.

कान्हा में बाघों की मौत ने खड़े किए कई सवाल

- खनन और टेरिटोरियल फाइट से बढ़ रहा दबाव
- बाघों के सुरक्षित भविष्य के लिए ठोस रोडमैप की जरूरत

नवभारत न्यूज

बालाघाट, 5 अगस्त. बालाघाट जिले के कान्हा और आसपास के वन क्षेत्रों में पिछले वर्षों में बाघों की मौत की घटनाओं ने वन्यजीव प्रेमियों के साथ वन विभाग और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े किए हैं.

मध्यप्रदेश को 'टाइगर स्टेट' के रूप में पहचान दिलाने वाले बाघों की संख्या बढ़ना निश्चित रूप से उपलब्धि है, लेकिन सवाल यह है कि बढ़ती संख्या के बीच उनके सुरक्षित आवास, क्षेत्र और आवागमन के कॉरिडोर को बचाने के लिए जमीनी स्तर पर कितनी तैयारी है. बाघों के बीच टेरिटोरियल फाइट यानी क्षेत्रीय वर्चस्व की लड़ाई भी उनकी मौत का एक प्राकृतिक कारण हो सकती है. जंगल में सीमित क्षेत्र और संसाधनों पर दबाव बढ़ने से बाघों के बीच संघर्ष की घटनाएं बढ़ सकती हैं. हालांकि हर मौत के कारण की वैज्ञानिक जांच जरूरी है, ताकि प्राकृतिक कारणों और मानवीय हस्तक्षेप के बीच स्पष्ट अंतर किया जा सके. बालाघाट खनिज संपदा से समृद्ध जिला है और विभिन्न क्षेत्रों में खनन गतिविधियां संचालित होती रही हैं. इसके साथ सड़क निर्माण और भारी वाहनों की आवाजाही भी वन क्षेत्रों पर दबाव बढ़ाती है. खनन का प्रभाव केवल खुदाई वाले क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उससे जुड़ी सड़कें, परिवहन, शोर और बढ़ती मानवीय गतिविधियां वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास को प्रभावित कर सकती हैं.

सुरक्षा दावों के बीच जवाब अब भी गायब

> संख्या नहीं, सुरक्षित भविष्य भी जरूरी
>
> बालाघाट में बाघों की मौजूदगी गौरव की बात है, लेकिन 'टाइगर स्टेट' की पहचान केवल बाघों की संख्या बढ़ाने से कायम नहीं रह सकती. उनके लिए पर्याप्त टेरिटरी, सुरक्षित आवास और निर्बाध वन्यजीव कॉरिडोर सुनिश्चित करना भी उतना ही जरूरी है.अवैध शिकार पर नियंत्रण, मानव-वन्यजीव संघर्ष रोकने, विकास परियोजनाओं के प्रभाव को सीमित सुनिश्चित करना होगा.

छापा | छह संपत्तियों के दस्तावेज, सरकारी रिकॉर्ड और पासपोर्ट जब्त

फार्मासिस्ट के सभी ठिकानों पर मारा छापा

नव भारत न्यूज

इंदौर, 5 अगस्त. स्कीम नंबर 140 स्थित वृंदावन गार्डन में मंगलवार सुबह उस समय हलचल मच गई, जब ईओडब्ल्यू की टीम एमवाय अस्पताल में पदस्थ फार्मासिस्ट राकेश गोरखे के घर पहुंची. अधिकारी सीधे दस्तावेजों की पड़ताल में जुट गए.

1 108 प्रतिशत से अधिक संपत्ति का हुआ खुलासा

2 छापामार कार्रवाई में 1.51 करोड़ रुपए नकद जब्त

पांच घंटे चली कार्रवाई के दौरान नकदी, बैंक रिकॉर्ड, पासपोर्ट, सरकारी दस्तावेज और करोड़ों की संपत्तियों से जुड़े रिकॉर्ड जब्त किए. शुरुआती जांच में गोरखे और उनकी पत्नी के नाम वैध आय से 108 प्रतिशत अधिक चल अचल संपत्ति मिलने के बाद अब ईओडब्ल्यू संपत्ति के स्रोत, सरकारी दवाओं के स्टॉक में कथित गड़बड़ी और अन्य वित्तीय लेन देन की कड़ियां खंगाल रही है. सुबह करीब आठ बजे शुरू हुई कार्रवाई दोपहर एक बजे तक चली. इस दौरान ईओडब्ल्यू अधिकारियों ने घर में मौजूद दस्तावेजों की बारीकी से जांच की. तलाशी में करीब 1.51 लाख रुपए नकद, बैंक पासबुक, पासपोर्ट, कई महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज और संपत्तियों से जुड़े रिकॉर्ड जब्त किए. कार्रवाई पूरी होने के बाद टीम सभी दस्तावेज अपने साथ ले गई. राकेश गोरखे वर्ष 2007 में फार्मासिस्ट के पद पर नियुक्त हुए थे. वर्ष 2015 में उनका मासिक वेतन 18,711 रुपए था, जो वर्ष 2025 में बढ़कर 54,664 रुपए हो गया. उनकी पत्नी कीर्ति गोरखे वर्ष 2010 से शासकीय दंत चिकित्सालय में लाइब्रेरियन हैं और वर्तमान में 42,402 रुपए प्रतिमाह वेतन प्राप्त कर रही हैं. ईओडब्ल्यू की जांच के अनुसार जांच अवधि में दंपती की कुल वैध आय 1 करोड़ 11 लाख 31 हजार 383 रुपए रही. जबकि उनके पास 2 करोड़ 13 लाख 85 हजारसे अधिक की चल अचल संपत्ति मिली. जो घोषित आय से करीब 108 प्रतिशत अधिक है.

> शहर में छह संपत्तियों का खुलासा...
>
> जांच में स्कीम नंबर 140 स्थित वृंदावन गार्डन का दो मंजिला मकान, साकार एनआरआई सिटी का बड़ा प्लॉट, साहिल इंद्रांचल होम्स, संघवी रेजीडेंसी और सद्गुरु नंदी विहार में प्लॉट सहित कुल छह संपत्तियों का पता चला है. इसके अलावा ओमेक्स डेवलपर्स में प्लॉट बुकिंग के लिए 6.70 लाख रुपए जमा करने के दस्तावेज भी मिले हैं. ईओडब्ल्यू इन संपत्तियों में लगाए गए धन के स्रोत और स्वामित्व का सत्यापन कर रही है. जांच में यह भी सामने आया है कि कई संपत्तियों की जानकारी विभाग को नहीं दी गई थी.

खाद्यान्न वितरण व्यवस्था होगी पारदर्शी

केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा से होगी खाद्यान्न की डिलीवरी

पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना में मिलेगा डिजिटल टोकन

पीडीएस के पॉयलेट प्रोजेक्ट के रूप में भोपाल-इंदौर से होगी शुरुआत

भोपाल, 5 अगस्त. मध्यप्रदेश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली अब डिजिटल क्रांति की नई दहलीज पर पहुंच गई है. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत पात्र हितग्राहियों को अब नकद या पारंपरिक व्यवस्था के बजाय भारतीय रिजर्व बैंक की केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी) के माध्यम से राशन उपलब्ध कराने की तैयारी शुरू हो गई है.

प्रदेश के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत ने बताया कि भारत सरकार ने इस महत्वाकांक्षी पायलट प्रोजेक्ट के लिए मध्यप्रदेश के भोपाल और इंदौर का चयन किया है, जहां दिसंबर 2026 तक सभी उचित मूल्य दुकानों पर यह व्यवस्था लागू करने का लक्ष्य रखा गया है. इस योजना के लागू होने के बाद पात्र हितग्राहियों को हर महीने उनकी खाद्यान्न पात्रता के अनुरूप सीबीडीसी टोकन सीधे उनके डिजिटल वॉलेट में भेजे जाएंगे. राशन लेने के लिए हितग्राही को केवल अपने मोबाइल ऐप से उचित मूल्य दुकान पर उपलब्ध क्यूआर कोड स्कैन करना होगा और टोकन का उपयोग करते ही गेहूं, चावल सहित पात्रता अनुसार खाद्यान्न मिल जाएगा. इससे पूरी प्रक्रिया डिजिटल एवं पारदर्शी बनेगी. श्री राजपूत ने बताया कि पारदर्शिता के साथ खाद्यान्न पहुंचाने में मील का पत्थर साबित होगी.